पत्र संख्या–सामान्य निर्देश / च0प0सेल / 2025–26 / 259 / राज्य कर

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक 17 अप्रैल, 2025

1 समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर उत्तर प्रदेश।
2 समस्त अपर आयुक्त ग्रेड–2, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3 अपर निदेशक (प्रशिक्षण) राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
4 समस्त संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
5 समस्त उपायुक्त, राज्य कर उत्तर प्रदेश।
6 समस्त सहायक आयुक्त, राज्य कर उत्तर प्रदेश।
7 समस्त राज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

....

प्रमुख सचिव, कार्मिक अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–9 / 2025 / 36 / सैंतालीस–का–5–2025–(1884274) दिनांक 11.02.2025 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा उत्तर प्रदेश राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कार्मिकों की वार्षिक प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किये जाने के संबंध में यह निर्देश दिये गये हैं कि वर्ष 2024–25 से समस्त कार्मिकों की वार्षिक प्रविष्टियों का कार्य मानव सम्पदा पोर्टल से किया जायेगा।

कार्मिक अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-05/सैतालीस-का-5-2025-(1788429) दिनांक 17.01.2025 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा समस्त राज्य कर्मचारियों (समूह-क, ख, ग एवं घ) की वार्षिक प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किये जाने की व्यवस्था के संबंध में आलोच्य वर्ष 2024-25 से समस्त राज्य कर्मचारियों ((समूह-क, ख, ग एवं घ) की वार्षिक प्रविष्टियाँ ऑनलाइन लिखे जाने हेतु मुख्य बिन्दु निम्नवत् है :-

(1) आलोच्य वर्ष 2024-25 की वार्षिक प्रविष्टियाँ Online लिखे जाने हेतु प्रत्येक स्तर पर प्रस्तावित Time line निम्नवत निर्धारित की जाए :-

(I) Work Flow दिनांक 30 अप्रैल, 2025 तक अनिवार्य रूप से जेनरेट कर दिया जाए।

(II) समूह 'क' 'ख' एवं 'ग' के अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा स्वमूल्यांकन आख्या दिनांक 31 मई, 2025 तक मानव सम्पदा पोर्टल पर उपलब्ध करायी जायेगी। समूह 'घ' के कर्मचारियों द्वारा स्वमूल्यांकन आख्या प्रस्तुत नहीं की जाएगी, अपितु उनके नियंत्रक अधिकारी द्वारा समयान्तर्गत उनकी वार्षिक प्रविष्टि अंकित कर दी जाएगी।

(III) प्रतिवेदक, समीक्षक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी क्रमश: 31 जुलाई, 30 सितम्बर तथा 31 दिसम्बर तक अपना अपना मन्तव्य अंकित करेंगें।

(IV) वार्षिक प्रविष्टियों का Disclosure दिनांक 31 दिसम्बर तक रहेगा।

(2) संबंधित अधिकारियों के Signature हेतु e-sign/ Digital Signature तथा Mobile से OTP आधारित व्यवस्था अपनाई जायेगी।

(3) वर्ष 2023-24 में वार्षिक प्रविष्टियों को Auto Forward किये जाने की व्यवस्था नहीं की गयी थी, परन्तु आलोच्य वर्ष 2024-25 से प्रविष्टियों के अंकन में Auto Forward की व्यवस्था स्वत: लागू हो जायेगी अर्थात् निर्धारित समयावधि के अंन्तर्गत क्रमश: स्वमूल्यांकन आख्या/ प्रतिवेदक/ समीक्षक/ स्वीकर्ता का मन्तव्य अंकित न करने पर प्रश्नगत प्रक्रिया अगले स्तर हेतु स्वत: अग्रेनीत (Auto Forward) हो जायेगी और संबंधित अधिकारी को अपनी प्रक्रिया पूर्ण करने/ मन्तव्य अंकित करने का अवसर स्वत: समाप्त हो जाएगा, तथा स्वमूल्यांकन आख्या तथा प्रतिवेदक, समीक्षक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकन की व्यवस्था कालबाधित (Closed) हो जायेगी।

वर्ष 2024-25 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकन हेतु उक्त निर्धारित समय सारिणी में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी तथा ऑफलाइन/ अन्य किसी माध्यम से प्रविष्टि ग्रहण नहीं होगी। उक्त के संबंध में यह निर्देश दिये गये हैं कि पोर्टल के

माध्यम से वार्षिक प्रविष्टियॉ ऑनलाइन दाखिल किये जाने हेतु उपरोक्त निर्धारित समय सारिणी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। गोपनीय प्रविष्टि विषयक आदेश के शेष प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

अत: समस्त कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 से ऑनलाइन वार्षिक प्रविष्टियॉ मानव सम्पदा पोर्टल पर अग्रसारित करना सुनिश्चित करें ।

संलग्नक–**उपरोक्तानुसार।**

(सुनील कुमार वर्मा)
अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 आयुक्त, कैम्प कार्यालय का सूचनार्थ प्रेषित।
2 समस्त अपर आयुक्त, राज्य कर मुख्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3 समस्त अनुभाग अधिकारी, राज्य कर मुख्यालय।
4 संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय को उक्त परिपत्र की प्रति विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

17/04/2024

(रवि शेखर सिंह)
संयुक्त आयुक्त (स्थापना अराजपत्रित) राज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।

अति महत्वपूर्ण

संख्या- 9/2025/36/सैतालीस-का-5-2025-(1884274)

प्रेषक,

एम० देवराज,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-5

लखनऊः दिनांक : 11-02-2025

विषयः- उत्तर प्रदेश राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कार्मिकों की वार्षिक प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किए जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि राज्य कर्मचारियों का सेवा विवरण अद्यतन किया जाना (नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण, कार्यमुक्ति, अवकाश प्रवन्धन आदि) मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (ए०पी०आर०) प्रवन्धन, वेतन आहरण, सेवा पुस्तिका प्रवन्धन आदि से संबंधित समस्त कार्य मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से सम्पादित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है तथा शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टियों का कार्य वर्ष 2023-2024 से अनिवार्य रूप से पोर्टल के माध्यम से ही किया जा रहा है तथा वर्ष 2024-25 से समस्त कार्मिकों की वार्षिक प्रविष्टियों का कार्य मानव सम्पदा पोर्टल से किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- शासन के स्पष्ट निर्देश होने के उपरान्त भी वर्ष 2023-2024 की वार्षिक प्रविष्टियों का कार्य समय से न पूर्ण होने के कारण समय-समय पर वर्कफ्लो जनरेशन/स्वमूल्यांकन आख्या / प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता मन्तव्य अंकन हेतु निर्धारित तिथि को बढाया गया है। शासनादेश संख्या-08/2025/21/सैंतालीस-का-5-2024(1884274), दिनांक 06.02.2005 द्वारा वर्कफ्लो जनरेशन जनरेशन के लिए दिनांक 12.02.2025 तक का अतिरिक्त समय देते हुए स्वमूल्यांकन आख्या / प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता मन्तव्य अंकन हेतु क्रमशः दिनांक 16.02.2025, 20.02.2025, 24.02.2025 एवं दिनांक 28.02.2025 तक का समय प्रदान किया गया है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 06.02.2025 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए मानव सम्पदा पोर्टल के सफल संचालन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) वर्ष 2023-24 से वार्षिक प्रविष्टि / मूल्यांकन आख्या का कार्य मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किये जाने का निर्णय लिया गया है, परन्तु वार्षिक प्रविष्टि के विरुद्ध प्रत्यावेदन पूर्व की भांति आफलाइन / भौतिक रूप से ही दिये जाने की व्यवस्था है।

इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि कार्मिक द्वारा भौतिक रूप से दिये गये प्रत्यावेदन पर विचारोपरान्त उसे प्राप्त ग्रेडिंग / मार्किंग में परिवर्तन संबंधी निर्णय से संबंधित ऑफिस एडमिन को अवगत कराया जायेगा तथा ऑफिस एडमिन द्वारा पोर्टल पर स्थिति अद्यतन की जायेगी।

(2) वर्ष 2023-24 से वार्षिक प्रविष्टि / मूल्यांकन आख्या का कार्य मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किये जाने का निर्णय होने के उपरान्त भी कतिपय कारणोवश कुछ कार्मिकों की वर्ष 2023-24 की मूल्यांकन आख्या / ग्रेडिंग भौतिक रूप से प्रस्तुत की गयी है।

इस संबंध मे यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2023-24 में जिन कार्मिकों की मूल्यांकन आख्या / ग्रेडिंग भौतिक रूप से की गयी है उनका भी वर्कफ्लो जनरेट किया जाये तथा पूर्व में भौतिक रूप से प्राप्त मूल्यांकन आख्या को पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाय। इस प्रकार वर्ष 2023-24 मे भौतिक रूप से प्राप्त मूल्यांकन आख्या / ग्रेडिंग ऑनलाइन कर दी जाय।

(3) प्रत्येक माह में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की ईएचआरएमएस आई0डी0 आटोमैटिक्ली इनैक्टिव किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया प्रश्नगत प्रकरण को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एम0 देवराज)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
9. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
10. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्तानुसार मानव सम्पदा पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था करने का कष्ट करें।
12. श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ निदेशक(आई०टी०), एन०आई०सी०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. श्री राजेन्द्र गुप्ता, वरिष्ठ निदेशक(आई०टी०), एन०आई०सी०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अति महत्वपूर्ण

संख्या-05/सैतालीस-का-5-2025-(1788429)

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-5 लखनऊ: **17-01-2025**

विषय:-समस्त राज्य कर्मचारियों (समूह 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ') की वार्षिक प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किए जाने की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-07/2023/293/सामान्य/सैतालीस-का-4-2023 दिनांक 03 अगस्त, 2023 द्वारा राज्य कर्मचारियों का सेवा विवरण अद्यतन किया जाना (नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण, कार्यमुक्ति, अवकाश प्रबन्धन आदि) मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (ए०पी०आर०) प्रबन्धन, वेतन आहरण, सेवा पुस्तिका प्रबन्धन आदि से संबंधित समस्त कार्य मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से सम्पादित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है।

2- शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टियों का कार्य वर्ष 2023-2024 से अनिवार्य रूप से पोर्टल के माध्यम से ही किया जा रहा है तथा राज्याधीन सेवाओं के समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित किये जाने के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों में संबंधित कार्मिक द्वारा स्वमूल्यांकन आख्या उपलब्ध कराने तथा प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपना मन्तव्य अंकित किये जाने तथा प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध संबंधित कार्मिक द्वारा प्रत्यावेदन दिये जाने एवं उक्त प्रत्यावेदन का निस्तारण किये जाने के संबंध में निर्धारित तिथि / समयावधि संबंधी व्यवस्था को अवक्रमित करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य की सेवा में कार्यरत समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के समस्त अधिकारियों की वर्ष 2023-24 से वार्षिक प्रविष्टि (ACR) मानव सम्पदा पोर्टल यू०आर०एल० ehrms.upsdc.gov.in पर आनलाइन दाखिल किये जाने के संबंध में पत्र संख्या-63/ सैतालीस-का-5-2024-(1788429) दिनांक 24.02.2024 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आलोच्य वर्ष 2024-25 से समस्त राज्य कर्मचारियों (समूह 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ') की वार्षिक प्रविष्टियां ऑनलाइन लिखे जाने हेतु निम्नवत् निर्णय लिया गया है:-

(1) आलोच्य वर्ष 2024-25 की वार्षिक प्रविष्टियाँ Online लिखे जाने हेतु प्रत्येक स्तर पर प्रस्तावित Time

line निम्नवत निर्धारित की जाए:-

(I) Work flow दिनांक 30 अप्रैल, 2025 तक अनिवार्य रूप से जेनरेट कर दिया जाए।

(II) समूह 'क' 'ख' एवं 'ग' के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा स्वमूल्यांकन आख्या दिनांक 31 मई, 2025 तक मानव सम्पदा पोर्टल पर उपलब्ध करायी जाएगी। समूह 'घ' के कार्मिकों द्वारा स्वमूल्यांकन आख्या प्रस्तुत नहीं की जाएगी, अपितु उनके नियंत्रक अधिकारी द्वारा समयान्तर्गत उनकी वार्षिक प्रविष्टि अंकित कर दी जाएगी।

(III) प्रतिवेदक, समीक्षक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी क्रमशः 31 जुलाई, 30 सितम्बर तथा 31 दिसंबर तक अपना-अपना मन्तव्य अंकित करेंगे।

(IV) वार्षिक प्रविष्टियों का Disclosure दिनांक 31 दिसम्बर तक रहेगा।

(2) संबंधित अधिकारियों के Signature हेतु e-sign / Digital Signature तथा Mobile से OTP आधारित व्यवस्था अपनाई जायेगी।

(3) वर्ष 2023-24 में वार्षिक प्रविष्टियों को Auto Forward किए जाने की व्यवस्था नहीं की गयी थी, परन्तु आलोच्य वर्ष 2024-25 से प्रविष्टियों के अंकन में Auto Forward की व्यवस्था स्वतः लागू हो जाएगी अर्थात् निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत क्रमश: स्वमूल्यांकन आख्या / प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता का मन्तव्य अंकित न करने पर प्रश्नगत प्रक्रिया अगले स्तर हेतु स्वत: अग्रेनीत (Auto Forward) हो जाएगी और संबंधित अधिकारी को अपनी प्रक्रिया पूर्ण करने / मन्तव्य अंकित करने का अवसर स्वत: समाप्त हो जाएगा, तथा स्वमूल्यांकन आख्या तथा प्रतिवेदक, समीक्षक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकन की व्यवस्था कालबाधित (Closed) हो जाएगी।

(4) पी०सी०एस० अधिकारियों के लिये प्रविष्टि की व्यवस्था पूर्व की भाति Sparrow के माध्यम से रहेगी।

(5) समूह 'ग' एवं 'घ' की वार्षिक प्रविष्टियों के स्वीकृत किये जाने हेतु निर्धारित स्तर के अनुसार पोर्टल पर एन०आई०सी० द्वारा तदनुसार व्यवस्था की जाएगी।

4- वर्ष 2024-25 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकन हेतु उक्त निर्धारित समय सारिणी में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी तथा ऑफलाइन / अन्य किसी माध्यम से प्रविष्टि ग्राह्य नहीं होगी। उक्त के संबंध में यह अपेक्षा की जाती है कि पोर्टल के माध्यम से वार्षिक प्रविष्टियाँ ऑनलाइन दाखिल किये जाने हेतु उपरोक्त निर्धारित समय सारिणी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। गोपनीय प्रविष्टि विषयक आदेशों के शेष प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

यह आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा।

भवदीय,

Signed by
Manoj Kumar Singh
Date: 17-01-2025 16:27:55

(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-</u>

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।

4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
9. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
10. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
13. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
M Devaraj
Date: 17-01-2025 20:19:37

(एम0 देवराज)
प्रमुख सचिव।